फर्द अहकाम

महेश बनाम मुलचन्द वगैरा

सहायक कलक्टर जालन्धर

केस - 49/2017

न न्यायालय

न संख्या

न संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	08/12/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी प्रतिवादी अनुपस्थित। वकील वादी / पार्टीज को बार-बार कहा गया तो न्यायालय कक्ष में न्यायालय कक्ष सार्वजनिक आवाजे लगाई गई बावजूद वकील वादी / पार्टीज उपस्थित नहीं हुए। अतः पार्टीज का वाद अनुसार अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली दफ्तरी की जाए। दिनांक 08/12/21 को सीलमपुर दिल्ली अदालत में लिखित आज दिया। न्यायालय के सुनाया गया।	

सहायक कलक्टर
जालन्धर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:37:43 IST
Reason: SelfAttested